



Neutral Citation No. - 2026: AHC:129172

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 21670 वर्ष 2026

नन्दू यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कामेश्वर राव

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कामेश्वर राव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 39 वर्ष 2026, धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम तथा धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना नौगढ़, जनपद चन्दौली में विचारण की लंबितावस्था के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को न तो घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था और न ही कथित गोवंश उसके कब्जे से बरामद किया गया था तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घटनास्थल से गिरफ्तार सह-अभियुक्त के कथन के आधार पर ही उसे वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है।

4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में इससे पूर्व भी आवेदक को गोवध अधिनियम के 7 अन्य मामलों में अभियुक्त बनाया जा चुका है, इसलिए पुलिस ने उसे वर्तमान प्रकरण में भी झूठा फँसा दिया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया जा चुका है तथा सभी मामलों में वह जमानत पर है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक दिनांक 30.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत तर्कों का खण्डन नहीं कर सके।
7. मैंने दोनों पक्षों को सुना तथा वाद के अभिलेख का अवलोकन किया।
8. यद्यपि वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त आवेदक का 7 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, तथापि अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि उसे न तो घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था और न ही उसकी कब्जे से कोई गोवंश बरामद हुआ था।
9. आगे, यह भी परिलक्षित होता है कि पूर्व के सभी मामले गोवध अधिनियम से सम्बन्धित हैं तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उसकी झूठी फँसाये जाने के संबंध में प्रस्तुत तर्क को इस स्तर पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
10. आगे, आवेदक के सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया जा चुका है तथा सभी मामलों में वह जमानत पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. आगे, वर्तमान प्रकरण में आवेदक दिनांक 30.04.2026 से जेल में निरुद्ध है।
12. अतः, उपर्युक्त विवेचित वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
13. तदनुसार, वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
14. आदेशित किया जाता है कि आवेदक नन्दू यादव को उपर्युक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—
- (i) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान की गई हो।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक अथवा समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को आवेदक की जमानत निरस्त कराए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।



16. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रयोजनार्थ पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं तथा विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

शहरोज

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।